जो नम्बर तामील

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 31/2024

बउनवान

सहायक अभियन्ता जल संसाधन नोनेरा परियोजना उपखण्ड द्वितीय — अपीलांट

बनाम

1. वन विभाग जर्ये उप वन सरक्षक महोदय बारां
2. तहसीलदार अन्ता तहसील अन्ता जिला बारों (राज०) — रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील बनाराजगी इंतकाल न० 1804 दिनांक 29.12.2021 स्वीकृत दिनांक 30.12.2021 तहसीलदार अन्ता अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री चन्द्रप्रकाश मीणा अभिभाषक — (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार — (रेस्पोडेन्ट कम 2)

निर्णय दिनांक 17.01.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि जल संसाधन विभाग की की विज्ञप्ति क्रमांक – 05/भू.अ./ज.स./2021/2382–85 दिनांक 27.01.2021 से कालीसिन्ध नदी पर नोनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाली तहसील अन्ता के ग्राम–पाटोन्दा के खसरा नम्बर –2/9.14 में से 4.26, ख.न. 8/14.70 मे से 4.03, ख.न. 10/4.00 में से 2.20, ख.न.1025/4,52 में से 1.00 खन. 1114/9.64 मे से –0.78 हैक्टेयर की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा–11 व 12 की विज्ञप्ति जारी की गयी थी। तथा धारा–19 उद्घोषणा का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का प्रकाश राज. के राज–पत्र में दिनांक–23/06/2021 को हुआ। आराजी वाके माल पाटोन्दा तहसील अन्ता की वर्तमान खाता नं. 703 खसरा नम्बर 2463/2 रकबा 6.89 ख.न 2465/8 रकबा 11.10, ख.न. 2451/10 रकबा –2.64, ख.न. 2453/1025 रकबा –3.71 2461/1114 रकबा –9.26, सहित किता 20 रकबा 189.70 हैक्टेयर भूमि वन विभाग अन्ता के खाते दर्ज है। यह कि उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तरण कार्यालय जिला कलेक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4( ) राजस्व/21/5669–77 दिनांक 24.12.21 की पालना में पूर्व से वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि में से खसरा नम्बर 2462/2 रकबा 2.25 ख.न. 2464/8 रकबा 3.60 ख.न. 2450/10 रकबा 1.36 ख.न. 2452/1025 रकबा – 0.81 ख.न. 2460/1114 रकबा 0.38, हैक्टेयर भूमि अनारक्षित करते हुये शेष भूमि वन विभाग बारां के नाम दर्ज किया गया है। उक्त विवादित आराजी डूब क्षेत्र में आने के कारण राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन कमांक भू अ/नवनेरा/2022/439/20.06.2022 द्वारा जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम खोले जाने का प्रकाशन हुआ है। गजट में ग्राम पाटोन्दा के मूल खसरा नम्बर 2 रकबा –4.26, ख.न. 8 रकबा –4.03, ख.न 10 रकबा –2.20 ख.न. 1025 रकबा 1.00 ख.न. 1114 रकबा 0.78 की 4.10 हैक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में ली गयी है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 2 का मूल रकबा –9.14 हैक्टेयर, ख.न.8 रकबा 14.70 ख.न. 10 रकबा –4.00 ख.न 1025 रकबा –4.52 ख.न. 1114 रकबा –9.64 हेक्टेयर है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तरण जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोज[illegible]म पाटोन्दा में खसरा नम्बर 2 की डूब क्षेत्र आयी भूमि 4.26 हेक्टेयर के बदले 2.25 है[illegible] नम्बर 8 रकबा 4.03 हेक्टेयर के बदले 3.60 खसरा नम्बर 10 रकबा 2.20 [illegible] रकबा 1.00 हेक्टेयर के बदले 0.81 खसरा नम्बर 1114 रकबा [illegible] हेक्टेयर के बद[illegible] हैक्टेयर भूमि ही सिवायचक खाते में उपलब्ध है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2[illegible] 0.43 हेक्[illegible]रा नम्बर 10 में 0.84 हे खसरा नम्बर 1025 मे[illegible] 0.40 हेक्टेयर भूमि [illegible] यह भूमि वस्तुतः वन विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बर 2463/2 रकबा 6.89 व खसरा नम्बर 2465/8 रकबा 11.10 खसरा नम्बर 2451/10 रकबा 2.64 खसरा नम्बर 2453/1025 रकबा 3.71 खसरा नम्बर 2461/1114 रकबा 9.26 हेक्टेयर में स्थित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पाटोन्दा का नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज०)

क्रमांक 1804 दिनांक–30.12.2021 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2463/2 में 2.01 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 2465/8 में 0.43 हेक्टेयर खसरा नम्बर 2451/10 में 0.84 हे खसरा नम्बर 2453/1025 में 0.19 खसरा नम्बर 2461/1114 में 0.40 हेक्टेयर भूमि सिवाय–चक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो. कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम पाटोन्दा तहसील अन्ता की वर्तमान खाता नं. 703 खसरा नम्बर 2463/2 रकबा 6.89 ख.न 2465/8 रकबा 11.10, ख.न. 2451/10 रकबा –2.64, ख.न. 2453/1025 रकबा –3.71 2461/1114 रकबा –9.26, सहित किता 20 रकबा 189.70 हैक्टेयर भूमि वन विभाग अन्ता के खाते दर्ज है। उक्त विवादित आराजी डूब क्षेत्र में आने के कारण राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक भू अ/नवनेरा/2022/439/20.06.2022 द्वारा जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम खोले जाने का प्रकाशन हुआ है। गजट में ग्राम पाटोन्दा के मूल खसरा नम्बर 2 रकबा –4.26, ख.न. 8 रकबा –4.03, ख.न 10 रकबा –2.20 ख.न. 1025 रकबा 1.00 ख.न. 1114 रकबा 0.78 की 4.10 हैक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में ली गयी है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 2 का मूल रकबा –9.14 हैक्टेयर, ख.न.8 रकबा 14.70 ख.न. 10 रकबा –4.00 ख.न 1025 रकबा –4.52 ख.न. 1114 रकबा –9.64 हेक्टेयर है। उक्त विवादित आराजी का नामान्तरण जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के नाम दर्ज किया जाना है। ग्राम पाटोन्दा में खसरा नम्बर 2 की डूब क्षेत्र आयी भूमि 4.26 हेक्टेयर के बदले 2.25 है व खसरा नम्बर 8 रकबा 4.03 हेक्टेयर के बदले 3.60 खसरा नम्बर 10 रकबा 2.20 हेक्टेयर के बदले 1.36 खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.00 हेक्टेयर के बदले 0.81 खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.78 हेक्टेयर के बदले 0.38 हैक्टेयर भूमि ही सिवायचक खाते में उपलब्ध है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2 में 2.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 8 में 0.43 हेक्टेयर खसरा नम्बर 10 में 0.84 हे खसरा नम्बर 1025 में 0.19 खसरा नम्बर 1114 में 0.40 हेक्टेयर भूमि कम है। यह भूमि वस्तुतः वन विभाग के खाते दर्ज खसरा नम्बर 2463/2 रकबा 6.89 व खसरा नम्बर 2465/8 रकबा 11.10 खसरा नम्बर 2451/10 रकबा 2.64 खसरा नम्बर 2453/1025 रकबा 3.71 खसरा नम्बर 2461/1114 रकबा 9.26 हेक्टेयर में स्थित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पाटोन्दा का नामान्तकरण क्रमांक 1804 दिनांक–30.12.2021 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2463/2 में 2.01 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 2465/8 में 0.43 हेक्टेयर खसरा नम्बर 2451/10 में 0.84 हे खसरा नम्बर 2453/1025 में 0.19 खसरा नम्बर 2461/1114 में 0.40 हेक्टेयर भूमि सिवाय–चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम तीखोद व पाटोन्दा की वन विभाग हेतु जिला कलक्टर, बारां के आदेश क्रमांक एफ 4(7)(3) राजस्व/01/6029–38 दिनांक 07 जुलाई 2008 से आरक्षित भूमि 286.50 है. में से आदेश क्रमांक 5669–77 दिनांक 24.12.2021 से 44.545 है. भूमि वापस अनारक्षित की गई है। शेष भूमि 241.955 है. भूमि वन विभाग के नाम अंकित होना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा अपील में उक्त भूमि को सिवायचक करने की प्रार्थना की है जो पूर्णरूपेण स्वीकार किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:18 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार वन विभाग के खाते में अंकित भूमि में से जो भूमि अवाप्ति में आ रही है उसके एवज में अन्य भूमि प्रस्तावित कर अवाप्ताधीन ... आवंटन/निरस्तीकरण की कार्यवाही के प्रस्ताव वन विभाग की सहमति से नियमानुसार पृथक से कार्यालय जिला कलक्टर, बारां में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)